निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून
दूरभाष–0135–2710490 फैक्स, 0135– 2713077

पत्र संख्या-2900/नि0ले0ह0/स0ले0अधि0/टी0सी0/रमशा/2014 , दिनांक 7 फरवरी 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– 535/XXIV-2/10-25(39)/2009 दिनांक 18 जून 2010 के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के अधीन जनपदीय कार्यालयों में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वेतन बैंडः 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 के कुल 13 पदों को लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा 05 वर्षों का अनुभव रखते हों, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जानी है। इच्छुक आवेदनकर्ता आवेदन पत्र का प्रारूप तथा प्रतिनियुक्ति की शर्तें इत्यादि को निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड की वेब साईट, url http://ae.uk.gov.in /recruitment से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को निदेशालय लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून के अधिष्ठान से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2014 है।

(निदेशक)

निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून
दूरभाष–0135–2710490 फैक्स, 0135– 2713077

पत्र संख्या-2900/नि0ले0ह0/स0ले0अधि0/टी0सी0/रमशा/2014 , दिनांक 07 फरवरी 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– 535/XXIV-2/10-25(39)/2009 दिनांक 18 जून 2010 के द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वेतन बैंडः 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 के कुल 13 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के कार्यालयों में तैनाती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 8669/प्रतिनियुक्ति(3)/2013–2014 दिनांक 29 अक्टूबर 2013 के कम में योग्य उम्मीदवारों/अर्हताधारकों से, निम्न विवरणानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जाते हैं।

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या	भर्ती का प्रकार	आयुसीमा	अधिमानी योग्यता	अनुभव
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वेतन बैंडः 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800	13 प्रति जनपद–01 पद	प्रतिनियुक्ति	50 वर्ष	विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	राज्य सरकार के कार्यालयों में समान वेतनमान में कार्यरत अथवा 01 वेतनमान से नीचे के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव । शिक्षा विभाग में 03 वर्ष का कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी। कम्प्यूटर पर कार्य साधक ज्ञान अनिवार्य है।

:आवेदन पत्र का प्रारूपः

1.	विज्ञापन संख्या	
2.	अभ्यर्थी का नाम	
3.	पिता का नाम	
4.	विभाग का नाम	
5.	पदनाम	
6.	जन्म तिथि	
7.	पत्राचार का पता दूरभाष एवं ईमेल आईडी0 सहित ।	

8.

शैक्षिक योग्यता	वर्ष	प्रतिशत	प्राप्तांक	विद्यालय / महाविद्यालय
हाई स्कूल				
इन्टर				
स्नातक				
एम0काम0				
अन्य				

9. कार्य अनुभव

क्र0	विभाग / संस्थान का नाम	अवधि	पद	वेतनमान	कार्य दायित्व

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गयी सूचना सही है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत सूचना पायी जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। यदि नियुक्ति हो भी जाती है तो वह भी निरस्त समझी जाय।

दिनांकः

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :

उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:–

1. आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित योग्यताओं की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हुए निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कर पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जायेंगें।
2. आवेदक को विगत 05 वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली हो, का प्रमाण–पत्र नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी द्वारा अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अपूर्ण एवं अधिमानी योग्यता न रखने वाले आवेदनकर्ताओं का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सूचनी आवेदक को दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. अधिकतम आयु का निर्धारण आवेदन प्राप्त करने की अतिंम तिथि को आधार मानकर किया जायेगा।
6. चयन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षाओं (लिखित अथवा साक्षात्कार) के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा व अन्य भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। इसके लिये कोई विशेष अवकाश देय नहीं होगा।
7. प्रतिनियुक्ति हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा, किन्तु किसी पद पर अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा व अन्य भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा, इसके लिये कोई विशेष अवकाश देय नहीं होगा। लिखित एवं साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थी को यथा समय दे दी जायेगी।
8. प्रतिनियुक्ति पर अभ्यर्थी को प्रथम वार 01 वर्ष के लिये चयनित किया जायेगा। तदोपरान्त परियोजना की आवश्यकता एवं अभयर्थी के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर मूल विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति अधिकतम 05 वर्ष की होगी।
9. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 28 फरवरी 2014 तक पंजीकृत डाक से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाने चाहिये। कोरियर द्वारा भेजने जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
10. आवेदन पत्र के लिफापे के दायीं ओर जिस पद एवं जहां के लिये आवेदन किया है गया है, उसका मोटे अक्षरों में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
11. रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
12. यह पद नितान्त अस्थाई हैं जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हैं। अतः किसी भी समय पद समाप्ति पर अभ्यर्थी मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेगें और इस पर किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।

(निदेशक)